संख्या- 69 /2016/1002(2)/नौ-5-2016-196सा/15

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगर निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 30 मार्च, 2016

विषयः वित्तीय वर्ष 2015-16 में लखनऊ, आगरा, कानपुर एवं मथुरा नगरों के सभी वार्डों में सफाई अभियान को बढ़ावा देने के लिए चयनित वार्डो को पुरस्कार वितरण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपुर्यक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सा0से0(च)/626/सफाई पुरस्कार, दिनांक 17 मार्च, 2016 तथा 52/2016/1002/नौ-2016-196सा/16, दिनांक 18.03.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लखनऊ, आगरा, कानपुर एवं मथुरा नगरों के सभी वार्डों में सफाई अभियान को बढ़ावा देने के लिए चयनित वार्डो को पुरस्कार वितरण हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में ग्रीन यू.पी. क्लीन यू.पी. अभियान में प्रावधानित धनराशि ₹ 20.00 करोड़ में से **₹ 20.00 लाख (₹ बीस लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त करते हुए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित कर किसी राष्ट्रीकृत बैंक में खाता खोलकर निदेशक, नगर निकाय, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखी जायेगी तथा पुरस्कार वितरण की तिथि निर्धारित होने पर यथावश्यकता उपयोग की जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो पर ही किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा।

(3) स्वीकृत धनराशि के व्यय के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) धनराशि पुरस्कार वितरण आयोजन में होने वाले विविध खर्चो तथा इवैल्यूवेटर के रूप में क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ को देय धनराशि के लिए अवमुक्त की जा रही है। अतः क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ को देय धनराशि उन्हें उपलब्ध करायी जायेगी तथा शेष धनराशि का व्यय पुरस्कार वितरण आयोजन में की जायेगी।

(5) यदि स्वीकृत धनराशि में से आयोजन के पश्चात् धनराशि की बचत होती है, तो उसे तत्काल राजकोष में जमा किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जायेगी।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत ***लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-11-ग्रीन यू.पी.-क्लीन यू.पी. अभियान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)"*** के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या- 69 /2016/1002(3)/नौ-5-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-,

1- महालेखाकार(वर्क्स लेखा अनुभाग), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
5- सहायक निदेशक (लेखा) स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र,.लखनऊ।
7- चिकित्सा अनुभाग-1/मा0 मुख्यमंत्री (घोषणा प्रकोष्ठ)
8- सुपर यूजर, नगर विकास/कम्प्यूटर सेल।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव